



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937

No. 271]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015/SHRAVANA 19, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2015

सं. 1/14/2015-वि.मा. (एफएसडीएस)(i)/केविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उपधारा 2 के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के प्रथम एवं द्वितीय संशोधन सहित निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 है।

(ii) ये विनियम 1 नवम्बर 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के भाग 1 के विनियम 1 का संशोधन: (i) मूल विनियम के विनियम 1.4 के अंतर्गत उपविनियम (v) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"भाग 6 अनुसूचीकरण और प्रेषण संहिता :

यह खंड अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आईएसजीएस) के उत्पादन की अनुसूचीकरण तथा प्रेषण और दीर्घकालिक पहुंच, मध्य-कालिक तथा अल्पकालिक निर्बाध पहुंच, जिसमें अनुपूरक वाणिज्यिक तंत्र भी है, के माध्यम से अन्य संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए आईएसजीएस, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी), प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी), पावर एक्सचेंजों तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के बीच जानकारी देने की प्रक्रिया के साथ आगे दिन तथा अंतःदिन के आधार पर स्वीकार की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

अधिकांश पवन तथा सौर ऊर्जा उत्पादक, इस समय अंतर-राज्यिक नेटवर्क से जुड़े हैं तथा भविष्य में इनकी अंतर-राज्यिक प्रेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ जाने की संभावना है। इस प्रकार के स्रोतों से उत्पादन की परिवर्तनीय प्रति को ध्यान में रखते हुए, तथा ऐसी परिवर्तनीयता का बहुत अधिक प्रभाव ग्रिड पर होने तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से, पवन तथा सौर उत्पादकों की अनुसूचीकरण को, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, इस संहिता में समामेलित किया गया है।"

3. मूल विनियम के विनियम 2 (परिभाषाएं) का संशोधन:

(i) मूल विनियम के विनियम 2 के उपविनियम (डडड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

(डडड) 'पूल लेखा' से, यथास्थिति, (i) विचलन प्रभार (विचलन प्रभार लेखा) से संबंधित भुगतान, या (ii) रिएक्टिव ऊर्जा विनियम (रिएक्टिव ऊर्जा लेखा) (iii) संकुलन प्रभार के लिए प्रादेशिक लेखा अभिप्रेत है।

4. मूल विनियम के भाग 2 के विनियम 2 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 2.4.5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“2.4.5 आरपीसी सचिवालय या आयोग द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति आरएलडीसी द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर मासिक रूप से प्रादेशिक ऊर्जा खाता (आरईए), साप्ताहिक विचलन प्रभार खाता, रिपेक्टिव ऊर्जा खाता और संकुलन प्रभार खाता तैयार करने एवं उन पवन तथा सौर उत्पादकों, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, उन राज्य/प्रदेशों, जिनमें ऐसे उत्पादक अवस्थित हैं, के एसएलडीसी/आरएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, विचलन लेखा तैयार करेंगे तथा ऐसे अन्य प्रभार लेखे तैयार करेंगे जो आयोग द्वारा विभिन्न प्रभारों की बिलिंग तथा संदाय के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।”

5. मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.5 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 5.5.1 (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“एक दैनिक रिपोर्ट, जिसमें प्रादेशिक ग्रिड का कार्य-निष्पादन सम्मिलित होगा, प्रत्येक आरएलडीसी द्वारा एसएलडीसी/उपयोक्ताओं से प्राप्त सामग्री के आधार पर तैयार की जाएगी तथा वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। इस रिपोर्ट में सौर ऊर्जा उत्पादन तथा ग्रिड में अंतःक्षेपण भी सम्मिलित होगा।”

6. मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.2 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 6.2 में “यह कोड तीन (3) घंटा आधार पर पवन और सौर ऊर्जा के पुनः अनुसूचीकरण के लिए पद्धति और किसी नवीनीय विनियामक प्रभार के माध्यम से परिवर्तनीय उत्पादन के साथ व्यवहार करने के लिए पवन और सौर ऊर्जा संपन्न राज्य की क्षतिपूर्ति की पद्धति का भी उपबंध करता है। इसके लिए, यूआई प्रभारों के लेखांकन और संबंधित एसएलडीसी और तथा आरएलडीसी को सूचना के अंतरण के लिए समुचित मीटरों और आंकड़ा अर्जन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।” वाक्य के स्थान पर, “इस संहिता में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादकों के पुनः अनुसूचीकरण के लिए पद्धति की व्यवस्था है जो डेढ बंटा आकार पर तथा इस प्रकार की पवन एवं सौर ऊर्जा उत्पादकों के विचलन के संचालन की पद्धति पर प्रादेशिक इकाइयां हैं। उपयुक्त मीटर डीएसएम मीटरों के अंतर्गत प्रभारों के लेखांकन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। टेलीमीट्री/संचार प्रणाली एवं आंकड़ा अर्जन प्रणाली संबंधित एसएलडीसी और आरएलडीसी को सूचना के अंतरण के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएगी।” वाक्य रखा जाएगा।

7. मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.4(2) का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 6.4(2)(ख)के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(ख)अल्ट्रा मैगा पावर परियोजनाएं जिसमें पवन तथा सौर संसाधनों पर आधारित परियोजनाएं तथा जिनकी क्षमता 500 मेगावाट और उससे अधिक है।”

8. मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 6.5 (23) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(i) पवन तथा सौर उत्पादकों को अनिवार्य रूप से आरएलडीसी द्वारा यथानिर्धारित प्ररूप में, आरंभ में तथा जब कभी भी परिवर्तन होता है तकनीकी विनिर्देशनों को संबंधित आरएलडीसी को उपलब्ध करवाया जाएगा। ऊर्जा प्रणाली पैरामीटरों से संबंधित डाटा और यथा लागू मौसम संबंधित डाटा एवं वास्तविक समय में संबंधित आरएलडीसी को इस प्रकार के उत्पादकों द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में फ्रिक्वेंसी और अन्य ब्यौरों को एनएलडीसी द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि में उपलब्ध करवाए जाएंगे और आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) पूर्वानुमान ऐसे पवन एवं सौर उत्पादकों द्वारा किए जाएंगे जो प्रादेशिक इकाइयां, तथा संबंधित आरएलडीसी हैं। संबंधित आरएलडीसी पूर्वानुमान एजेंसी (एजेंसियों) को नियोजित कर सकते हैं और ऐसे उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूची तैयार कर सकते हैं। संबंधित आरएलडीसी द्वारा पूर्वानुमान ग्रिड परिचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होगा। पवन तथा सौर उत्पादक द्वारा पूर्वानुमान उत्पादक केन्द्रित होगा। उन पवन और सौर उत्पादकों के पास, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, के पास इसकी अनुसूची तैयार करने के लिए संबंधित आरएलडीसी के पूर्वानुमान को स्वीकार करने या इसके अपने पूर्वानुमान पर आधारित अनुसूची सहित संबंधित आरएलडीसी को उपलब्ध करवाने का विकल्प होगा। पवन तथा सौर उत्पादक द्वारा चुने गए पूर्वानुमान पर आधारित अनुसूची से विचलन के कारण किसी वाणिज्यिक प्रभार का इसके द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) उन पवन तथा सौर उत्पादकों, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, द्वारा अनुसूची को (सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर), यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी को अग्रिम नोटिस देते हुए पुनरीक्षित किया जा सकेगा। इस प्रकार के पुनरीक्षण टाइम ब्लॉक में पहले होने के नाते चौथे टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे जिसमें नोटिस दिया गया था। किसी विशेष दिन के 00:00 घंटे से आरंभ होने वाले डेढ घंटे के प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए एक पुनरीक्षण हो सकता है जो दिन के दौरान अधिकतम 16 पुनरीक्षणों के अध्यधीन होगा।

(iv) सौर उत्पादकों की अनुसूची, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, उत्पादक की उपलब्धता, मौसम पूर्वानुमान, सौर आतपन/विकिरण, मौसम और सामान्य सौर उत्पादन वक्र पर आधारित उत्पादकों द्वारा दी जाएगी।”

9. मूल विनियम के अनुबंध 1 का संशोधन: मूल विनियम के अनुबंध 1 के विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“पवन तथा सौर उत्पादक, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, निम्नलिखित समय अंतरालों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का पूर्वानुमान करेंगे।”

(i) आगे के दिन का पूर्वानुमान : 50 मेगावाट और उससे ऊपर की कुल उत्पादन क्षमता के लिए अगले 24 घंटों के लिए 15 मिनट के अंतरालों के साथ पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन पूर्वानुमान।

(ii) इस प्रकार के पवन तथा सौर उत्पादकों द्वारा अनुसूची जो प्रादेशिक इकाइयाँ हैं, दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन अंतरराज्यिक ऊर्जा का प्रदाय करने वाले ऐसे पवन तथा सौर उत्पादकों, जो प्रादेशिक इकाइयाँ हैं, की अनुसूची आरएलडीसी को अग्रिम सूचना देते हुए पुनरीक्षित की जा सकेगी। ऐसे पुनरीक्षण ऐसा पहला समय ब्लॉक होने के नाते जिसमें नोटिस दिया गया था, चौथे समय ब्लॉक से प्रभावी होंगे। किसी विशेष दिन के 00:00 घंटे से आरंभ होने वाले डेढ़ घंटे के प्रत्येक समय स्लॉट के लिए एक पुनरीक्षण हो सकता है, जो दिन के दौरान अधिकतम 16 पुनरीक्षणों के अध्याधीन होगा।”

10. मूल विनियम के अनुबंध 1 का संशोधन : मूल विनियम के अनुबंध 1 के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“पवन तथा सौर उत्पादकों द्वारा, जो प्रादेशिक इकाइयाँ हैं, अनुसूची से विचलन के लिए संदेय प्रभारों को फ्रिक्वेंसी से असंबद्ध किया जाएगा और समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के उपबंधों के अनुसार लेखांकित और व्यवस्थित किया जाएगा।”

11. मूल विनियम के अनुबंध 1 का संशोधन : मूल विनियम के अनुबंध 1 के पैरा 6, 7 और 9 को हटा दिया जाएगा।

शुभा शर्मा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./50/2015/158]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 115 की तारीख 28.4.2010, को प्रकाशित किया गया, मूल विनियम का प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 60 में दिनांक 6.3.2012 को प्रकाशित किया गया था और मूल विनियम का द्वितीय संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 08 तारीख 6.1.2014 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2015

No. 1/14/2015-Reg. Aff. (FSDS) (i)/CERC.— In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 including the first and second amendments thereof (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:—

1. **Short title and commencement :** (1) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Third Amendment) Regulations, 2015.
(2) These regulations shall come into force with effect from 1st November, 2015.
2. **Amendment of Regulation 1 of Part 1 of Principal Regulations:** Sub-Regulation (v) under Regulation 1.4 of the Principal Regulations, shall be substituted as under:—

“Part 6: Scheduling and Despatch Code: This section deals with the procedure to be adopted for scheduling and despatch of generation of the Inter-State Generating Stations (ISGS) and scheduling for other transactions through long-term access, medium-term and short-term open access including complementary commercial mechanisms, on a day-ahead and intra-day basis with the process of the flow of information between the ISGS, National Load Despatch Centre (NLDC), Regional Load Despatch Centre (RLDC), Power Exchanges and the State Load Despatch Centres (SLDCs), and other concerned persons.

Most of the wind and solar energy generators are presently connected to intra-State network and in future are likely to be connected to the inter-state transmission system (ISTS) as well. Keeping in view the variable nature of generation from such sources and the effect such variability has on the inter-state grid, and in view of the large-scale integration of such sources into the grid envisaged in view of the Government of India’s thrust on renewable sources of energy, scheduling of wind and solar generators which are regional entities, has been incorporated in this code.”

3. **Amendment of Regulation 2 (Definitions) of Principal Regulations:**

(i) Sub-Regulation (eee) of Regulation 2 of the Principal Regulations, shall be substituted as under: —

(eee) "Pool Account" means regional account for (i) payments regarding Deviation Charges (Deviation Charge Account) or (ii) reactive energy exchanges (Reactive Energy Account) (iii) Congestion Charge, as the case may be;

4. **Amendment of Regulation 2 of Part 2 of Principal Regulations:** Regulation 2.4.5 of the Principal Regulations, shall be substituted as under: —

"2.4.5 RPC Secretariat or any other person as notified by the Commission from time to time, shall prepare monthly Regional Energy Account (REA), weekly deviation charge account, reactive energy account, and congestion charge account, based on data provided by RLDC, and deviation charge account for wind and solar generators which are regional entities, based on data provided by SLDC/RLDC of the State/Region in which such generators are located and any other charges specified by the Commission for the purpose of billing and payments of various charges."

5. **Amendment of Regulation 5.5 of Part 5 of Principal Regulations:** Regulation 5.5.1 (b) of the Principal Regulations, shall be substituted as under: —

"A daily report covering the performance of the regional grid shall be prepared by each RLDC based on the inputs received from SLDCs / Users and shall be put on its website. This report shall also cover the wind and solar power generation and injection into the grid."

6. **Amendment of Regulation 6.2 of Part 6 of Principal Regulations:** In Regulation 6.2 of the Principal Regulations, the sentences "This code also provides the methodology for re-scheduling of wind and solar energy on three (3) hourly basis and the methodology of compensating the wind and solar energy rich State for dealing with the variable generation through a Renewable Regulatory charge. For this, appropriate meters and Data Acquisition System facility shall be provided for accounting of UI charges and transfer of information to concerned SLDC and RLDC." shall be substituted by the sentences "This code also provides the methodology for re-scheduling of wind and solar energy generators which are regional entities, on one and half hourly basis and the methodology of handling deviations of such wind and solar energy generators. Appropriate meters shall be provided for accounting of charges for deviation under DSM Regulations. Telemetry/communication system and Data Acquisition System shall also be provided for transfer of information to the concerned SLDC and RLDC."

7. **Amendment of Regulation 6.4(2) of Part 6 of Principal Regulations:** Regulation 6.4(2)(b) of the Principal Regulations shall be substituted as under: —

"(b) Ultra Mega Power Projects including projects based on wind and solar resources and having capacity of 500 MW and above"

8. **Amendment of Regulation 6.5 of Part 6 of Principal Regulations:** Regulation 6.5 (23) of the Principal Regulations, shall be substituted as under: —

"(i) Wind and Solar generators shall mandatorily provide to the concerned RLDC, in a format as prescribed by RLDC, the technical specifications at the beginning and whenever there is any change. The data relating to power system parameters and weather related data as applicable shall also be mandatorily provided by such generators to concerned RLDC in real time. The frequency and other details in this regard shall be provided in the Detailed Procedure to be prepared by NLDC and approved by the Commission.

(ii) Forecasting shall be done by wind and solar generators which are regional entities as well as the concerned RLDC. The concerned RLDC may engage forecasting agency(ies) and prepare a schedule for such generating stations. The forecast by the concerned RLDC shall be with the objective of ensuring secure grid operation. The forecast by the wind and solar generator shall be generator centric. The wind and solar generators which are regional entities will have the option of accepting the concerned RLDC's forecast for preparing its schedule or provide the concerned RLDC with a schedule based on its own forecast. Any commercial impact on account of deviation from schedule based on the forecast chosen by the wind and solar generator shall be borne by it.

(iii) The schedule by wind and solar generators which are regional entities (excluding collective transactions) may be revised by giving advance notice to the concerned RLDC, as the case may be. Such revisions shall be effective from 4th time block, the first being the time-block in which notice was given. There may be one revision for each time slot of one and half hours starting from 00:00 hours of a particular day subject to maximum of 16 revisions during the day.

(iv) The schedule of solar generators which are regional entities shall be given by the generator based on availability of the generator, weather forecasting, solar insolation/irradiance, season and normal solar generation curve."

9. **Amendment of Annexure-1 of Principal Regulations:** Regulation 4 of the Annexure-1 of the Principal Regulations, shall be substituted as under : —

"The wind and solar generators which are regional entities shall forecast renewable energy generation at the following time intervals:

(i) Day ahead forecast: Wind and solar energy generation forecast with an interval of 15 minutes for the next 24 hours for the aggregate generation capacity of 50 MW and above.

(ii) The schedule by such wind and solar generators which are regional entities, supplying inter-state power under long-term access or medium-term open access or short-term open access may be revised by giving advance notice to RLDC. Such revisions shall be effective from 4th time-block, the first being the time-block in which notice was given. There may be one revision for each time slot of one and half hours starting from 00:00 hours of a particular day subject to maximum of 16 revisions during the day."

10. **Amendment of Annexure-1 of Principal Regulations:** Para 5 of the Annexure-1 of the Principal Regulations, shall be substituted as under : —

"The charges payable for deviation from schedule by the wind and solar generators which are regional entities, shall be delinked from frequency and shall be accounted for and settled in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 as amended from time to time."

11. **Amendment of Annexure-1 of Principal Regulations:** Paras 6, 7 and 9 of the Annexure-1 of the Principal Regulations, shall be deleted.

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./50/2015/158]

Note : Principal Regulations were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No. 115 on 28.4.2010, the first amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No. 60 on 6th March, 2012 and the second amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No. 08 on 6th January, 2014.

3418 5/15-2